भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
**राज्य सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 3194**
उत्तर देने की तारीख 19 मार्च, 2026
28 फाल्गुन, 1947 (शक)

# खेल आयोजनों से विदेशी खिलाड़ियों की वापसी

**3194 श्री मल्लिकार्जुन खरगे:**

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पाँच वर्षों के दौरान भारत में आयोजित अंतरराष्ट्रीय आयोजनों की संख्या का वर्ष - वार और श्रेणी - वार ब्यौरा क्या है, जिनमें विदेशी टीमों या खिलाड़ियों ने भाग लेने से इंकार किया, भागीदारीवापस ली या पुनर्निर्धारण का अनुरोध किया, साथ ही इसके लिए बताए गए विशिष्ट कारणों का ब्यौरा क्या है, जिनमें वायु प्रदूषण, अत्यधिक गर्मी (हीट स्ट्रेस), सुरक्षा या अन्य पर्यावरणीय एवं स्वास्थ्य-संबंधी कारक शामिल हैं;

(ख) ऐसे आयोजनों का ब्यौरा क्या है जिसमें खेल का नाम, आयोजन स्थल, मूल रूप से आमंत्रित देशों की संख्या तथा भागीदारी से हटने वाले देशों / खिलाड़ियों की संख्या शामिल हो;

(ग) क्या इन चिंताओं के प्रत्युत्तर में खेल प्राधिकरणों द्वारा कोई परामर्श या आकस्मिक उपाय जारी किए गए थे; और

(घ) भविष्य के आयोजनों में खिलाड़ियों की सुरक्षा तथा अंतरराष्ट्रीय भागीदारी पर पर्यावरणीय एवं स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों के प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री**
**(डॉ. मनसुख मांडविया)**

(क) से (घ): भारत में अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं का आयोजन संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परिसंघों और स्थानीय आयोजन समितियों के समन्वय से किया जाता है। भागीदारी, नाम- वापसी, शेड्यूलिंग और विदेशी टीमों के साथ संवाद से संबंधित मुद्दों पर उपयुक्त

अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार आयोजकों द्वारा सीधे ही कार्रवाई की जाती है। नाम- वापसी या गैर-भागीदारी के बारे में संबंधित परिसंघों को सूचित किया जाता है और इसे इस मंत्रालय को अनिवार्य रूप से रिपोर्ट नहीं किया जाता है। तथापि, कुछ एनएसएफ ने व्यक्तिगत कारणों, उड़ान की बाधाओं, आयोजन के समय मौजूद भू-राजनीतिक स्थिति, उनके अपने देशों के भीतर राजनीतिक अशांति आदि के कारण विदेशी एथलीटों या टीमों द्वारा भाग न लेने या नाम वापस लेने की कुछ घटनाओं के बारे में सूचित किया है।

सरकार भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से एनएसएफ के साथ संपर्क में रहती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में एथलीट सुरक्षा, अवसंरचना, चिकित्सा सहायता, पर्यावरण निगरानी और समग्र सुरक्षा मानकों पर उचित ध्यान देते हुए अंतरराष्ट्रीय परिसंघों के दिशानिर्देशों का पालन हो।

*****